टी०ए० मिस केस सं० 35/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
07/09/19	अभिलेख उपरथापित। आवेदक दीपक बालमुचु, पिता– स्व० राम चन्द्र बालमुचु, ग्राम– कबरागुटू, थाना– मुफफासिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 32, प्लॉट नं०– 2037, रकवा– 0.12 एकड़ भूमि क्रेता सूधा लागुरी, पिता– पान्डु लागुरी, ग्राम– सिंहपोखरिया, थाना– मुफफासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर ना०मु०सं०–72/2001–2002 द्वारा नामांतरित है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 585, दिनांक–. 31.8.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता सूधा लागुरी, पिता– पान्डु लागुरी, ग्राम– सिंहपोखरिया, थाना– मुफफासिल, के पास० 5,00,000.00/–(पांच लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफफासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक दीपक बालमुचू, पिता– स्व० राम चन्द्र बालमुचू, ग्राम– कबरागुटू, क्रेता सूधा लागुरी, पिता– पान्डू लागुरी, ग्राम– सिंहपोखरिया, थाना– मुफफासिल के पास. 5,00,000.00/–(पांच लाख) रूपये मे मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 32, प्लॉट नं०– 2037, रकवा– 0.12 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति......दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner